

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./09/128/2020/एफ0 सी0/1564

दिनांक: 14/10/2020

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद- टिहरी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी घोषण संख्या 76/2017 विकासखण्ड-हिन्दोलाखाल
में मिनी स्टेडियम (चन्द्रबदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु 0.600 है0 वन भूमि का गैर वानिकी
कार्य हेतु जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल को हस्तान्तरण। (Online No.
FP/UK/OTHERS/37359/2018)

सन्दर्भ:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक -
931/FP/UK/ OTHERS/37359/2018 दिनांक 28/09/2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने
के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विषयांकित प्रस्ताव अन्य प्रस्ताव संख्या
FP/UK/Others/34659/2018 समान है। प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है। अतः राज्य सरकार
निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित
की जा सके:-

1. राज्य शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाये कि प्रस्ताव संख्या FP/UK/Others/37359/2018 एवं
FP/UK/Others/34659/2018 में से किस प्रस्ताव पर विचार किया जाना है तथा दूसरे प्रस्ताव को
राज्य शासन द्वारा withdraw किया जाये।
2. साथ ही प्रस्ताव संख्या FP/UK/Others/34659/2018 में पूर्व में 35 बाँज वृक्षों का पातन प्रस्तावित
था किन्तु वर्तमान में प्रस्ताव में ऑन-लाईन प्रस्तुत जानकारी अनुसार इस प्रस्ताव में भी प्रभावित
वृक्षों की संख्या शून्य है। अतः राज्य शासन इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।
3. Comments of Nodal Officer regarding guideline para 1.15 still not received.
4. Recommendation of CF is not found at para 16 in Part II.
5. FRA certificate submitted for proposal other than non linear.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस
कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के0)